संख्या-11/2018/200 ई-2/तेरह-2018-39/2012

प्रेषक,

वेद प्रकाश राय,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 06 फरवरी,2018

विषय:- देश के बाहर अल्कोहल निर्यात करने की अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-58/नौ-2017-18/अ0नि0/830/देश के बाहर/धामपुर, दिनांक 12 जनवरी,2018 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 12 जनवरी,2018 में उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव एवं की गई संस्तुति पर सम्यक विचारोपरान्त मेसर्स धामपुर शुगर मिल्स लि0, धामपुर जनपद, बिजनौर को उनकी अधिष्ठापित क्षमता के अन्तर्गत अल्कोहल वर्ष 2017-18 में 70,00,000(सत्तर लाख) बल्क लीटर रेक्टिफाइड स्प्रिट/अब्सोल्यूट अल्कोहल/ई0एन0ए0 देश के बाहर निर्यात करने की अनुमति एतद्द्वारा इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि प्रदेश में शीरा/अल्कोहल की कमी होने पर देश के बाहर रेक्टिफाइड स्प्रिट/अब्सोल्यूट अल्कोहल/ई0एन0ए0 के निर्यात पर रोक लगाये जाने पर आसवक को कोई आपत्ति नहीं होगी।

तद्नुसार आगामी आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
(वेद प्रकाश राय)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in